"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 जनवरी 2017—— पौष 14, शक 1938

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-13/आठ-परि./2016. — यत:, राज्य शासन की राय है कि सेवा भक्ति समिति, पी-2, संजय अपार्टमेंट, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर के स्वामित्व के मोटरयान क्रमांक सी. जी. 10 सी/4398 एवं श्री सुरेन्द्र गुंबर, हाई कोर्ट रोड, बिलासपुर, छ. ग. के स्वामित्व के वाहन क्र. सी. जी. 10 सी/4481 को लोक हित में मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करना समीचीन होगा;

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, "सेवा भक्ति समिति", पी-2, संजय अपार्टमेंट, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर के स्वामित्व के मोटरयान क्रमांक सी. जी. 10 सी/4398 एवं श्री सुरेन्द्र गुंबर, हाई कोर्ट रोड, बिलासपुर, छ. ग. के स्वामित्व के वाहन क्र. सी. जी. 10 सी/4481 को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से, छूट प्रदान करती है.

No. F 5-13/VIII-Tran./2016. — Whereas, the State Government is of the opinion that it would be expedient to exempt the motor vehicles No. C. G. 10C/4398 owned by the Seva Bhakti Samiti, P-2, Sanjay Apartment, Vyapar Vihar Road, Bilaspur and Vehicle No. CG10C/4481 owned by Shri Surendra Gumber, High Court Road, Bilaspur, C. G., from payment of motor vehicle tax in the public interest;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Secion 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts the motor vehicles No. C. G. 10C/4398 owned by the Seva Bhakti Samiti, P-2, Sanjay Apartment, Vyapar Vihar Road, Bilaspur and Vehicle No. CG10C/4481 owned by Shri Surendra Gumber, High Court Road, Bilaspur, C. G., from the payment of motor vehicle tax leviable under Section 3 of the said Adhiniyam, with effect from the date of issuance of this notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.